RCMS
2019/00122

# आदेशिका

## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर

बृजलाल बनाम मुरली मनोहर आदि

धारा 225 आर.टी.एक्ट अपील संख्या 52 /2019

| आदेश दिनांक | आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त | आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक |
|---|---|---|
| 22.05.19 | वकील अपीलांट द्वारा पेश करने पर बाद जांच रिपोर्ट अपील पेश हुई। रेस्पों. सं. 3 की ओर से कैवियट प्रा.पत्र शामिल है। अपीलांट द्वारा यह अपील उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 20.05.2019 के विरूद्ध पेश की है। उक्त आदेश के द्वारा राज.काश्त.अधि. की धारा 212 के अन्तर्गत पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को अप्रार्थी सं. 2 से 5 के हिस्से तक जोकि राजस्व रिकार्ड है के विरूद्ध स्थगन आदेश निरस्त कर दिया जिसमें आगामी तारीख पेशी 04.06.2019 नियत है।<br>विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि पूर्व में अपीलांट के पक्ष में स्थगन आदेश जारी किया गया था जो अपीलाधीन आदेश के द्वारा निरस्त कर दिया। अधी. न्यायालय द्वारा पक्षकारों को बिना सुने आदेश पारित किया गया है। अतः विवादित भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में जारी स्थगन आदेश यथावत रखा जावे।<br>विद्वान अभिभाषक रेस्पों. सं. 3 ने प्रारम्भिक एतराज पेश कर कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अन्तरिम आदेश है जिसमें आगामी तारीख पेशी 04.06.2019 नियत है। अन्तरिम आदेश के विरूद्ध अपील नहीं हो सकती। अपीलांट ने पुष्पा देवी को रेस्पों. सं. 6 बनाया है। पुष्पा देवी को पक्षकार बनाए जाने का आदेश माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निरस्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट कुसंयोजन के दोष से ग्रसित होने से खारिज की जावे।<br>बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि चक 3ए छोटी के मु.नं. 20, 7, 11 की है | |

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

जिसके पक्षकार अभिलिखित खातेदार हैं। अधी. न्यायालय में बंटवारे का दावा पेश किया। सन् 1971 में पक्षकारों के मध्य पंजीकृत बंटवारानामा हुआ है। लच्छीराम द्वारा वसीयत अपने पौत्र व पौत्री के पक्ष में की। पुष्पा देवी बृजलाल की पुत्री है। बंटवारे के वाद में सभी अभिलिखित खातेदारों के मध्य एक वर्ष से अस्थाई निषेधाज्ञा चली आ रही थी। पुष्पा देवी का पक्षकार बनने का प्रा.पत्र माननीय राजस्व मण्डल तक निरस्त हो चुका है फिर भी अपीलांट ने पुष्पा देवी को पक्षकार बनाया है जो कि प्रकरण में कुसंयोजन है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 04.06.2019 नियत है। अधी. न्यायालय द्वारा अप्रार्थी सं. 2 से 5 जोकि विवादित भूमि के अभिलिखित खातेदार हैं के हिस्से तक जारी स्थगन आदेश निरस्त किया गया है। चुंकि अपीलाधीन आदेश अन्तरिम आदेश है। अधी. न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण किया जाना शेष है। अन्तरिम आदेश के विरूद्ध अपील होने के साथ– साथ पुष्पा देवी को पक्षकार बनाये जाने के कारण अपील अपीलांट चलने योग्य नहीं होने से एडमिशन के स्तर पर खारिज की जाती है। निर्णित पत्रावली नम्बर से कम होकर अभिलेखागार में जमा हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)